रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012022-232555
CG-DL-E-11012022-232555

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 2022/पौष 21, 1943
No. 13] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 2022/PAUSHA 21, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/163/17/डीडी/147/टीएएमसी/आईएनएफ/17/डीसी/1042/19.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, **सीए. कांतिपुडी वी वी रमेशबाबू (सदस्यता संख्या 213786), फ्लैट नंबर 201, वेस्ट विंग, एसवीएसएस निवास, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, स्ट्रीट नंबर 1, चेक कॉलोनी, हैदराबाद 500 018** को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उन पर ऐसे प्रत्येक मामले, जिसमें उसने दिशानिर्देशों में अनुबंधित संख्या से अधिक संख्या में संपरीक्षा का संचालन किया है, 1,000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है, जिसका कुल योग केवल 3,73,000/- (तीन लाख तिहतर हजार रुपए) है, जिसका संदाय उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से 03(तीन) मास के भीतर किया जाना था । अनुशासन समिति ने यह और आदेश किया कि यदि प्रत्यर्थी **सीए. कांतिपुडी वी वी रमेशबाबू (सदस्यता संख्या 213786)** अनुबंधित समय, अर्थात् 03(तीन) मास के भीतर जुर्माने की रकम को जमा करने में असफल रहता है तो उसके नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाना चाहिए । चूंकि प्रत्यर्थी यथा अनुबंधित अधिरोपित जुर्माने की रकम को जमा करने में असफल रहा है, इसलिए अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त **सीए. कांतिपुडी वी वी रमेशबाबू (सदस्यता संख्या 213786) का नाम, 11 जनवरी, 2022 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।**

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./568/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up under an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2022

(Chartered Accountants)

No. PPR/P/163/17/DD/147/TAMC/INF/17/DC/1042/19.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Kantipudi V V Rameshbabu (Membership No. 213786), Flat No. 201, West Wing, SVSS Nivas, Above Kotak Mahindra Bank, Street No. 1, Czech Colony, HYDERABAD 500 018,** guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for imposing a fine of Rs. 1000/- for each case of audit conducted in excess of the number stipulated in the Guidelines which aggregates to Rs. 3,73,000/- (Rupees Three Lakhs Seventy Three Thousand) only which was payable within 3(three) months from the date of receipt of the said order. The Disciplinary Committee further ordered that if the Respondent, **CA. Kantipudi V V Rameshbabu (Membership No. 213786),** fails to deposit the fine within the stipulated time i.e. 3(three) months, his name be removed from the Register of Members for a period of 01(One) month. Since, the Respondent has failed to deposit the imposed fine as stipulated, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Kantipudi V V Rameshbabu (Membership No. 213786), shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 11th January, 2022.**

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./568/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.11 20:57:14 +05'30'